

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1619/2015/जोधपुर

मैसर्स कैरियर पाइंट इन्फ्रा लि0 112 बी शक्ति नगर  
कोटा द्वारा प्राधिकृत एजेंट तरुण कुमार जैन  
पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद जैन, निवासी ए-45 न्यू जवाहर नगर, कोटा

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये उप-पंजीयक जोधपुर (तृतीय)
2. जीवन रक्षा शिक्षण एवं विकास संस्थान, जयपुर

...अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री मदनलाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक

...प्रार्थी की ओर से

श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक

...अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

...अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 06.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को यथावत स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने नगर विकास न्यास, जोधपुर से नीलामी में दिनांक 03.03.2008 को एक भूखण्ड शैक्षणिक प्रयोजनार्थ राशि रूपये 6,30,60,544/- में क्रय किया तथा नियमानुसार आयुक्त/निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर के समक्ष राजस्थान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2003 (RIPS-2003) में नियमानुसार निवेश करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क व भू रूपान्तरण शुल्क में छूट हेतु आवेदन किया। आयुक्त, उद्योग जयपुर ने दि. 05.08.2008 को प्रमाण पत्र (फार्म-5) जारी करते हुए नियमानुसार मुद्रांक शुल्क पर 50% छूट प्रदान की, जिसके आधार पर छूट का लाभ प्राप्त करते हुए प्रार्थी संस्था द्वारा लीज डीड दिनांक 28.08.2008 को पंजीबद्ध कराई गई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ क्रय किये गये उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य सम्पादित किया। चूंकि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (CBSE) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत शैक्षणिक संस्था का संचालन कोई ट्रस्ट/संस्था ही कर सकती है, के आधार पर प्रार्थी ने अपनी यूनिट अप्रार्थी संख्या 2 जीवन रक्षा शिक्षण एवं विकास संस्थान, जयपुर के साथ उक्त शैक्षणिक संस्था के संचालन हेतु एक लीज एग्रीमेंट दिनांक 29.06.2012 को निष्पादित किया, क्योंकि राजकीय दिशा निर्देश एवं सी.बी.एस.ई. परिपत्र के अनुसार विद्यालय का संचालन केवल ट्रस्ट या सोसाईटी ही कर सकती थी।
3. महालेखाकार जांच दल द्वारा उप पंजीयक के कार्यालय का ऑडिट किये जाने के उपरान्त ऑडिट आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक ने रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया। रेफरेन्स इस ऑडिट आक्षेप पर आधारित था कि मैसर्स कैरियर पाइंट इन्फ्रा लिमिटेड की स्वयं की घोषणा के आधार पर मुद्रांक शुल्क में छूट राजस्थान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत शिक्षण संस्थान चलाने हेतु दी गई थी, परन्तु प्रार्थी ने उक्त शैक्षणिक संस्था

am

H

लगातार.....2

संचालन का लीजडीड दस्तावेज संख्या 8843 दिनांक 29.06.2012 को जीवन रक्षा शिक्षण एवं विकास संस्थान को 1 मार्च 2012 से 19 वर्ष 11 माह की लीज पर 25,000/- रु. प्रतिमाह की दर से दिया गया है। RIPS-2003 के बिन्दु संख्या 4(L) के अनुसार कम्पनी ही सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बाध्य है, जबकि कंपनी ने शैक्षणिक संस्था आगे लीज पर देकर आंवटन की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण प्रार्थी मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने की पात्र नहीं है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(18)एफ-डी/टैक्स डिवि/2001-74 दिनांक 28.07.2003 के तहत मुद्रांक कर राशि रु. 25,33,627/- रु. की गलत छूट प्राप्त की, जो 18% ब्याज सहित वसूली योग्य है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया जाकर अन्तर मुद्रांक कर 25,33,627/- रु., ब्याज 23,02,764/-रु., शास्ति 39,65,840/-रु. व ब्याज 39,65,840/-रु. कुल 1,27,68,071/- रु. वसूली के आदेश दिनांक 22.06.2015 को पारित किये, जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि शैक्षणिक संस्था का निर्माण प्रार्थी कंपनी द्वारा कर लिया गया था, परन्तु सी.बी.एस.ई. के प्रावधानानुसार शैक्षणिक संस्था का संचालन केवल पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाईटी ही कर सकती थी, इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को लीज पर प्रार्थी द्वारा नवनिर्मित भवन दिया गया था। भवन का स्वामित्व व कब्जा आदिनांक तक प्रार्थी के पास ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अवधारित किया है कि प्रार्थी ने शर्तों का उल्लंघन किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को RIPS-2003 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा उपभोग में ली गयी छूट को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त करने के अधिकार ही नहीं है। RIPS-2003 के क्लॉज 6 के अनुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी या राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को ही अपने निर्णय को रिव्यू या संशोधन करने के अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय बिना प्रार्थी को विधिवत व युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये पारित किया है, जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। उप पंजीयक को रेफरेन्स प्रस्तुत करने की वैध स्थिति (locus standi) नहीं है।

RIPS-2003 के क्लॉज 13 के अनुसार राज्य सरकार अपने आदेश को रिव्यू या संशोधित 5 वर्ष के पश्चात नहीं कर सकती है, जबकि इस प्रकरण में 7 वर्ष बाद अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) ने आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2006(1) डी.एन.जे. (राज.) 452 में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक वर्ष गुजर जाने के बाद रेफरेन्स की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती। उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत रेफरेन्स 18.11.2013 में रेफरेन्स का कारण "ऑडिट रिपोर्ट" अंकित करते हुए प्रेषित किया है। इससे यह प्रकट होता है कि उप पंजीयक ने प्रकरण में रेफरेन्स करने से पूर्व मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया।

साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा स्वयं ही शैक्षणिक संस्था का संचालन करने हेतु नियमानुसार भूखण्ड का क्रय किया गया एवं उस पर शैक्षणिक संस्था संचालन हेतु भवन का निर्माण करते भवन में आवश्यक फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर्स आदि उपलब्ध करवाए, उक्त कार्य हेतु उनके द्वारा नियमानुसार निवेश भी किया गया। कलक्टर मुद्रांक ने स्वयं अपने आदेश में वर्णित किया है कि नव-निर्मित भवन में शैक्षणिक

संस्था का संचालन ही किया जा रहा है, ना कि कोई अन्य व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था का संचालन किया जाकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन तथ्यों से प्रार्थी द्वारा RIPS - 2003 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना की जा रही है। केवल मात्र कुछ समय के लिये शैक्षणिक संस्थान को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन हेतु अपनी ही यूनिट को लीज पर दिये जाने से RIPS - 2003 के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। अतः उन्होंने अपीलधीन निर्णय दि. 22.06.2015 निरस्त करते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि RIPS के अन्तर्गत सक्षम छानबीन समिति संबंधित पक्ष के आवेदन पर उसे पात्र घोषित करती है, छूट लेने के पश्चात यदि वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग की ईकाई कार्यवाही कर सकती है। स्टाम्प अधिनियम का उल्लंघन होने पर उप पंजीयक अधिनियम धारा 51(4) के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। अतः उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बतलाते हुए प्रस्तुत निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रार्थी को प्रदान की गई 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में छूट का लाभ देय होना चाहिए अथवा नहीं तथा प्रदान की गई छूट को निरस्त करने के अधिकार कलक्टर मुद्रांक को प्रदत्त है अथवा नहीं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नीलाम किये गये भूखण्ड का नियमानुसार क्रय करते हुए उस पर 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त किया है। RIPS में वर्णित शर्तों के अनुसार प्रार्थी को 31 मार्च 2009 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए विधिवत् तरीके से सी.बी.एस.ई के नियमानुसार शैक्षणिक संस्था का संचालन करना चाहिए था, जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं० 2 को भूखण्ड 25,000/- रुपये मासिक लीज पर दिया है। यह तथ्य उचित है कि उक्त निर्मित शैक्षणिक संस्था का कब्जा एवं स्वामित्व आदिनांक तक प्रार्थी के पास सुरक्षित है एवं बिजली के बिल भी नियमित रूप से प्रार्थी के नाम से ही प्रेषित किये जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का पैरा संख्या 5 में स्पष्ट अंकित है कि "इस संबंध में ज्ञापन सं. 6 दिनांक 08.08.2013 जारी कर विभाग की टिप्पणी चाही गई थी प्रत्युत्तर में अवगत कराया कि छूट का लाभ जारी अधिसूचना एवं प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है"। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एक मोटी रकम का निवेश करते हुए सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सी.बी.एस.ई. मार्गदर्शिका अनुसार एक शैक्षणिक संस्था को विकसित किया है एवं प्रार्थी का उद्देश्य उक्त शैक्षणिक संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, ना कि उसे किराये पर देकर मासिक किराया/आय मुनाफे हेतु वसूल करना है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस प्रस्तुत किया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 8 पर दर्शित है। जिसके बिन्दु संख्या 5 व 6 का विवरण निम्नानुसार है :-

"5. यह कि कैरियर पोइन्ट इन्फ्रा लिमिटेड को आवंटित किये गये भूखण्ड पर उक्त कम्पनी के निर्देशन में स्कूल संचालित किया जा रहा है। सीबीएसई के प्रावधानों के स्कूल का संचालन ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा ही किया जा सकता है, तब ही सीबीएसई द्वारा स्कूल को मान्यता प्रदान की जाती है। इसके फलस्वरूप कम्पनी ने अपने निर्देशन में स्कूल के सफलता पूर्वक संचालन के लिये जीवन रक्षक शिक्षण एवं विकास संस्थान, जयपुर को उक्त भूखण्ड लीज पर दिया है, भूखण्ड का स्वामित्व एवं कब्जा मैसर्स कैरियर पोइन्ट इन्फ्रा लिमिटेड के पास ही है। आवंटित भूखण्ड न तो विक्रय किया गया है और न ही हस्तान्तरण कर सौंपा गया है।"

6. "यह कि नोटिस प्रिन्टेड प्रफोर्मा में जारी किया गया है, उक्त नोटिस एब्यूज ऑफ दी प्रोसेस ऑफ दी लॉ है। नोटिस में किसी प्रकार का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है, नोटिस अस्पष्ट है, साथ ही उक्त नोटिस जो पंजीकृत लेख-पत्र की धारा 51(0) सपठित नियम 66(0) राजस्थान स्टाम्प रूल्स, 1955 के तहत वास्तविक सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करने से पूर्व विधि में वर्णित नियमों की पालना किये बिना ही बिना ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये ही उप पंजीयक महोदय द्वारा बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मुद्रांक अधिनियम के तहत रेफरेन्स करने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस प्रेषित किया है, जो विधि के नियमों की पालना किये बिना ही प्रेषित करवाया है, जो इल्लीगल मेनर को प्रकट करता है, इस कारण उक्त नोटिस अस्वीकार है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। नोटिस प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।"

कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी के उक्त जवाब पर गौर नहीं करते हुए एवं जवाब का बिना उल्लेख किये अपना आदेश पारित किया है। प्रार्थी द्वारा उपयोग की गयी छूट को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किये जाने का मुख्य आधार RIPS - 2003 का बिन्दु सं. 4(1) का उल्लेख निम्नानुसार है :-

4(1) "Investment" means investment of funds (whether borrowed from designated institutions i.e. commercial banks or State or Central Government financial institutions or from own resurces) on any unit/project having commercial, or industrial output of goods or services, or projects set up for such common social good as are duly recognized by the Government by an order in this respect as a qualifying sphere of activity.

**The following projects set up for common social goods are hereby recognized as qualifying spheres of activity to be covered under the definition of Investment for the purpose of grant of benefits under the scheme :-**

(i) Educational Institutions.

(ii) -----

आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा प्रार्थी के हक में जारी 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क का प्रमाण पत्र दिनांक 5.8.2008 का उल्लेख निम्नानुसार है :-

Government of Rajasthan  
Office of the Commissioner of Industries  
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005  
FORM-5

Provisional Entitlement Certificate

(For 50% exemption of Stamp Duty and/or Conversion Charges)  
(Under Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2003)

Book No. 1

Date 05.08.2008

S.No. 170

It is certified that **M/s Carrer Point India Ltd.**, whose application for the project School at Vijay Raje Nagar, Jodhpur, measuring area 8409.83 Sq. Mtr, has been registered at No. 215 dated 22.07.2008 and based on his declaration, he is entitled to avail following exemptions under Notifications No. F.4(18)FD/Tex/Div/2003-04 dated 28.07.03 and order No. F.4(18)FD/2001-N dated 26.02.2004

1. 50% of the Stamp Duty and/or

2. 50% of the Government portion of Conversion Charges

The relevant authority of Government of Rajasthan responsible for administering these duties and or levies, suo moto or on being informed otherwise, shall recover the amount so exempted along with interest @ 18% p.a., in case of any violation of the provisions contained in the Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003, by the berare of this Certificate.

Commissioner Industries  
and Secretary  
State Level Screening Committee  
Rajasthan, Jaipur

arr✓

Handwritten signature

लगातार.....5

प्रार्थी कम्पनी के निदेशक श्री ओम महेश्वरी द्वारा प्रोजेक्ट का परिचय निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है :-

### **Introduction of Project of Career Point Infra Limited**

The proposed Project is of setup of a School in Jodhpur. Career Point Infra Limited has a vast exposure and experience in the field of Education Service Providing activities.

In the Present scenario education service providing activities not only generates a very well return but also serve the society by way of providing direct and indirect employment and impart education which is always a key ingredient for development of a nation.

Our School will provide **direct employment** of more than 50 persons. So our project has not only financial potential but also a **social potential**.

For Career point Infra Limited

(sd)

(Om Maheshwari)

Director

RIPS - 2003 के पैरा संख्या 9, 12 व 13 के उल्लेख निम्न प्रकार है:-

### **9. PROCEDURES :**

#### **(A) CLAIM OF EXEMPTIONS OF STAMP DUTY AND CONVERSION CHARGES :**

(i) An investor intending to make new investment or intending to make new investment for Expansion/Modernization/Diversification, being entitled to claim exemption of stamp duty and/or conversion charges under this Section, shall submit a duly completed application in the prescribed Form, to the Member Secretary of the appropriate Screening Committee (SLSC/DLSC). Such application shall be accompanied by a project report duly certified by a chartered accountant.

**(ii) The Member Secretary of the appropriate Screening Committee, shall register the application and issue Provisional Entitlement Certificate in prescribed format to the applicant investor immediately with a copy to the concerned department/authority. Thereupon, the stamp duty and/ or conversion charges/fee would be exempt to the extent of fifty percent of the duty leviable or the fee chargeable.**

.....

#### **12- REVIEWS AND APPEAL :**

The State Level Screening Committee and District Level Screening Committee, described under clause 6 of this Scheme shall also be empowered to review their decision. The State Level Screening Committee shall hear and decide appeals against the orders of District Level Screening Committee. Provided that the aggrieved party has filed review application or the appeal within the period of 60 days from the date of communication of the decision of the committee.

#### **13- REVISION BY THE STATE GOVERNMENT :**

(a) The State Government in Finance Department may suo motu or otherwise revise an order passed by any Screening Committee wherever it is found to be erroneous and prejudicial to the interest of the State revenue, after affording an opportunity of being heard to the beneficiary industrial unit.

**(b) No order under the sub-clause (a) shall be passed by the State Government after the expiry of a period five years after the date by which the benefits under this scheme are fully availed of.**

8. RIPS - 2003 के पैरा संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेखित है कि एस.एल.एस.सी. ही योजना के प्रावधानों को रिव्यू कर सकती है। पैरा सं0 13(a) में उल्लेखित है कि वित्त विभाग पक्षकार को सुनवाई का मौका प्रदान करने के पश्चात स्वयं आदेश पारित करते हुए रिवाइस कर सकता है एवं 13(b) में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य सरकार भी योजना में उपभोग किये गये लाभांश को पांच वर्षों पश्चात कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है एवं उपभोग किये गये लाभांश को भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ले सकती है। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दि0 3.3.2008 को भूखण्ड क्रय करते हुए 50 प्रतिशत मुद्रांक कर की छूट का लाभ प्राप्त किया गया है, जबकि प्रश्नगत रेफरेन्स 18.11.2013 को प्रस्तुत किया गया है एवं कलक्टर मुद्रांक ने अपना आदेश 22.6.2015 को पारित किया है, जोकि भूखण्ड क्रय किये जाने के लगभग सात वर्षों के घोर विलम्ब से किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पिटीशन संख्या 568/1993 निर्णय दिनांक 29.11.2005 2006(1) डी.एन.जे. (राज.) 452 शंकर लाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त रेफरेन्स की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती।

**"Indian Stamp Act, 1899 Section 47A & 47D - Reference-original document sent to collector-After registration, document returned to party-sending of original document for initiating proceedings is mandatory requirement-proceedings initiated after lapse of one year-Notice is illegal and quashed."**

RIPS - 2003 योजना के तहत लाभ देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत छानबीन समिति की सूची योजना के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित की गई है, जो निम्नानुसार है :-

**6. AUTHORITY TO GRANT BENEFITS UNDER THE SCHEME**

The prescribed authority for determining the eligibility, **except 29 for exemption from stamp duty and/or conversion charges**, under this Scheme shall be the following Screening Committees, whose decisions, subject to other provisions of the Scheme, shall be final :

S.N.	Investment amount	Prescribed Authority	Status
1.	Investment above Rs. 7.00 crores	State Level Screening Committee (SLSC) consisting of the following	
		a) Pr. Secretary, Insustries	Chairman
		b) Secretary, Finance (Rev.) or his representative not below the rank of Deputy Secretary	Member
		c) Commissioner, Commercial Taxes or his representative not below the rank of Additional Commissioner.	Member
		d) CMD, RFC or his Representative, not below the rank of ED	Member
		e) MD, RIICO or his Representative, not below the rank of ED	Member
		f) Commissioner, Industries	member-Secretary
2.	Investment up to Rs. 7.00 Crores	District Level Screeing Committee (DLSC) consisting of the following	
		a) District Collector	Chairman
		b) Concerned Branch Manager of RFC in the District	Member
		c) Concerned Senior Regional Manager/District	Member
		d) Deputy/Asstt. commissioner, Commercial Taxes/Commercial Taxes Officer (CTO)	Member
		e) General Manager DIC	Member-Secretary

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रार्थी को प्रदान किये गये मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट से वंचित उक्त पैरा के क्रमांक 1 में वर्णित अधिकृत अधिकारीगण ही कर सकते हैं, ना कि कलक्टर मुद्रांक अपने स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत प्रदान की गई छूट से वंचित कर सकते हैं।

27/

लगातार.....7

वक्त बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिक्षण संस्था के भवन निर्माण के बिल प्रस्तुत किये गये जिसमें भवन निर्माण प्रार्थी द्वारा किया जाना दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा कार्यालय पंजीयन अधिकारी एवं श्रम कल्याण अधिकारी जोधपुर के समक्ष कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 421/2012 दिनांक 06.07.2012 प्रस्तुत किया गया, जो प्रार्थी के नाम से पंजीबद्ध है जिसमें Constructions of School & Hostel Building दर्शित है। प्रार्थी द्वारा भारत सरकार के विभाग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समक्ष उद्योग आधार का भी पंजीयन करवाया गया है, जिसका UAN RJ22D0000027 है। प्रार्थी द्वारा मैसर्स राजपूताना बिल्ड. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को School Building 75,316.34 sqft. and Hostel Building 17,249.25 sqft. के निर्माण बाबत Work Order दिया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक F-37/Dir(P)/JDA Genral/11-1322 date 21.12.2011 द्वारा विद्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित भवन मानचित्र का ले आऊट प्लान प्रार्थी के नाम स्वीकृत किया गया है, जिसकी राशि रूपये 162296/- जरिये रसीद संख्या 9001/32161 दिनांक 26.09.2011 को जेडीए जोधपुर के समक्ष प्रार्थी द्वारा जमा करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। साथ ही प्रार्थी अभिभाषक द्वारा संचालित Career point शैक्षणिक संस्था का Porspectus, Performance evaluation Form, JDA, Jodhpur द्वारा भवन के स्वीकृत मानचित्र, विधुत बिल, तीन वर्षों के Financial Statements, संचालित संस्था के Expression माह नवम्बर 2016 तथा CBSE Affiliation No. 1730569 भी प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा CBSE, Delhi द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या CBSE/AFF/1730569/2016/1013590 date 20.01.2016 एवं कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 11.08.2015 प्रस्तुत किये गये, जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि "जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल, जोधपुर का संशोधित नवीन नाम केरियर पॉइन्ट वर्ल्ड स्कूल, जोधपुर" है एवं इस संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

**RIPS-2003** के बिन्दु सं० 2 एवं 3 के विवरण निम्नानुसार हैं -

**2. OPERATIVE PERIOD**

The Scheme shall come into operation with effect from 1st July, 2003 and shall remain in force upto 31st March 2011.

**3. APPLICABILITY OF THE SCHEME**

The Scheme shall be applicable to all new investments and investments made by existing units and enterprises for Modernization/Expansion/Diversification, subject to the condition that such units shall commence commercial production / operations owing to such investment during the operative period of the Scheme.

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनों को मध्यनजर रखते हुए दर्शित होता है कि प्रार्थी को RIPS 2003 के बिन्दु सं० 2 व 3 के अनुसार शैक्षणिक संस्थान का संचालन 31.3.2009 तक प्रारम्भ किया जाना चाहिए था एवं उसके द्वारा योजना में वर्णित प्रावधान 4(L) की पालना भी नहीं की गयी है। कलक्टर मुद्रांक को प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त मुद्रांक शुल्क में लाभांश 50 प्रतिशत को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। कलक्टर (मुद्रांक) ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए प्रार्थी को प्राप्त छूट को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

200

17

लगातार.....8

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 3234/1998 Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan Jaipur Vs Rajasthan Taxation Tribunal Tax Up Date Vol. 38 part 4 page 131 निर्णय दिनांक 12.11.2013, 25 वेट रिपोर्टर 234, 39 टीयूडी 69, 38 टीयूडी 131, 57 वीएसटी 293, 55 वीएसटी 382, 24 वीएसटी 536 एवं 19 वीएसटी 284 आदि न्यायिक व्यवस्थाओं के अवलोकन के पश्चात पाया गया कि कलक्टर मुद्रांक ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए प्रार्थी द्वारा उपभोग में ली गई छूट को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कलक्टर मुद्रांक को चाहिये था कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए प्रकरण राज्य स्तरीय छानबीन समिति (SLSC) एवं आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर को प्रेषित करते ताकि RIPS 2003 के तहत लाभ स्वीकृत करने वाली अधिकृत छानबीन समिति, जो योजना के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित है, अपने स्तर पर निर्णय पारित करती।

अतः कलक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 22.6.2015 माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं RIPS - 2003 के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से इस हद तक अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 22.6.2015 अपास्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश के विरुद्ध माननीय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली राशि को बाद सत्यापन लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही कलक्टर मुद्रांक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों से अवगत करवाते हुए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ प्रकरण RIPS - 2003 के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित अधिकृत छानबीन समिति के समक्ष प्रेषित करें तथा छानबीन समिति अपने स्तर पर निर्णय हेतु स्वतंत्र रहेगी। उपरोक्तानुसार प्रकरण कलक्टर मुद्रांक को 'प्रतिप्रेषित' किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

*nkr*  
( नत्थूराम )  
सदस्य

*6-1-2017*  
( मदन लाल )  
सदस्य